1733

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.आई.डी.सी.) रायपुर द्वारा जिला–बिलासपुर में प्रस्तावित वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 27.02.2007 का कार्यवाही विवरण :–

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एस.आई.डी.सी.) रायपुर द्वारा ग्राम–उदगन, गोढ़ी, किरारी–गोढ़ी, धौराभाटा, भैसबोड़, डोंडकी, सम्बलपुरी, पंडरवा, केवाची, ब्लॉक एवं तहसील बिल्हा जिला–बिलासपुर में लगभग 796 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृहद् औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित है। इस हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानानुसार लोक सुनवाई दिनांक 27.02.2007 दिन मंगलवार को प्रातः 11.00 बजे स्थान – कार्यालय जनपद पंचायत बिल्हा के सभा कक्ष जिला–बिलासपुर में सम्पन्न हुई। राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानानुसार सर्वसंबंधित से प्रस्तावित वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में सुझाव/विचार 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जाने का सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार दैनिक भास्कर, एवं एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र द टाईम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के अंक में कराया गया था। निर्धारित अवधि तक क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर को कुल 95 आपत्ति/विचार प्राप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान प्रबंधन के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। इसके अंतर्गत् कुल 07 ग्रामों की भूमि शामिल होना बताया गया। इसके साथ जल, वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायो की जानकारी लोगों को दी गयी। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन सामान्य द्वारा औघोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु निजी स्वामित्व की भूमि देने से इन्कार करते हुए प्रमुख रूप से निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये :–

1. प्रभावित होने वाले गांवों में जन सुनवाई के पहले सूचना का मुनादी नहीं कराई गयी है। जन सुनवाई के दौरान ई. आई. ए. को छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ा जाए। अधिग्रहण की जाने वाले भूमि पथरीली, अनुसूचित जाति/जनजातीय की संख्या, पेड़ पौधे की जानकारी, ई. आई. ए. रिपोर्ट में गलत दी गयी है। यहां के किसान निजी स्वामित्व की भूमि नहीं देना चाहते है।
2. यहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति के 70 प्रतिशत लोग निवास करते है। लगभग 300 उद्योगों में केवल 5000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जबकि लगभग 2.5 लाख लोग घर से बेघर होंगे। यहां कोई उद्योग नहीं लगाया जाना चाहिए।
3. जन सुनवाई विधायक या जन प्रतिनिधी की उपस्थिति में किया जाए। जनसुनवाई प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में आहूत किया जावें तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन सुनवाई हेतु पृथक–पृथक पेनल मेंबर की नियुक्ति कर जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाए।
4. यहां की भूमि उपजाऊ है। अतः भूमि अधिग्रहण न किया जाए।
5. उद्योग लगने से पहले पर्यावरण का प्रभाव एवं पश्चात पर्यावरण पर क्या प्रभाव पडेगा, की जानकारी नहीं दी गयी है। यहां पर नदियों में साल भर पानी नहीं रहता है। यहां पर 300 उद्योगों के लिए पानी कहां से आवेगा। गांवों में स्थित तालाब, हेंडपंप, ट्यूबेल का पानी, जीवन–यापन एवं सिंचाई के लिए किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के बनने से पानी की समस्या रहेगी और जल प्रदूषित होगा।